न्यायालय-सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी — आशा कुमारी, जिला न्यायाधीश

विविध आपराधिक प्रकरण — **150/2026**

मुकेश पिता नाथु निवासी लाम्बा डाबडा थाना पिपलखूंट जिला प्रतापगढ — -- प्रार्थी

-बनाम-

राजस्थान राज्य — --अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-**483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-58/2026 पुलिस थाना पिपलखूंट

उपस्थिति-
01-श्री चांदमल निनामा-अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
02-श्री तरूणदास बैरागी-लोक अभियोजक,राज्य की ओर से

आ दे श — दिनांक-**14.05.2026**

01. प्रार्थी की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश हुआ, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक-18.12.2025 को परिवादीया ने परिवाद पेश किया कि दिनांक-11.11.2025 को सांय पांच बजे वह घर के पास बकरियां चरा रही थी तब मुकेश ने पीछे से आकर उसके दोनों हाथ पकड लिये व खोटा काम करना चाहने की कहा व उसे निर्वस्त्र करने की नियत से साडी खींच कर गर्भवती के साथ मारपीट करने लगा। वह चिल्लाई तो मौके पर हो हल्ला सुन कर अशोक व गांव के अन्य लोग दौडकर आये तो मुलजिम मौके से उसके घर चला गया व धमकी दी कि आज तो इन लोगों ने बचा लिया आयन्दा अकेली मिलेगी तो खोटा काम करेगा व जान से मार देगा। इसके बाद उसने अपने पति को फोन किया। फिर पति आये तो मुकेश उसके घर से कुल्हाडी लेकर पति को मारने आया जिसे लोगों ने बीच बचाव किया। इस पर पुलिस थाना पिपलखूंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-58/2026 दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफतीश प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ के न्यायालय में पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुआ, जिस पर जमानत का यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है-

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	पुलिस थाने का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट किस अपराध में संस्थित हुई।	वर्तमान में मामला किस अपराध के तहत अन्वेषणाधीन है।	प्रार्थी की गिरफ्तारी की दिनांक	प्रार्थी के विरूद्ध अन्य लम्बित/ सजायाब प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6
58/2026	पिपलखूंट	115(2),126(2), 76,351(3)बीएनएस	74,126(2)बीएनएस	05.05.2026	1 अन्य प्रकरण

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि परिवार में जमीन के सेडे को लेकर झगडा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दी थी, जिसके बचाव में यह झूंठा मामला दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी घटना के समय घर पर नहीं होकर मजदूरी करने सूरत गया हुआ था। प्रार्थी से कोई तफतीश व बरामदगी शेष नहीं है। अभी प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

05. मैने विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घर के पास बकरियां चरा रही परिवादीया को पीछे से आकर प्रार्थी द्वारा पकड कर साडी खींच कर मारपीट कर चोटें पहुंचाना बताया जाता है, जिसकी ताईद धारा-183 बीएनएसएस के बयान में की है, लेकिन केस डायरी पर परिवादीया की ओर से चोटों बाबत मेडिकल मुआयना नहीं करवाना चाहने का आवेदन सलंग्न है। प्रार्थी दिनांक-05.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी से कोई तफतीश व बरामदगी शेष नहीं है। हालांकि प्रार्थी के खिलाफ एक अन्य प्रकरण लम्बित होना बताया जाता है, लेकिन पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य पत्रावली पर दर्शित नहीं किया गया है। अभी प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना समस्त तथ्यों परिस्थितियों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

06. परिणामतः प्रार्थी मुकेश पिता नाथु निवासी लाम्बाडाबडा थाना पिपलखूंट द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश हैं कि यदि प्रार्थी पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें एवं पचास हजार रूपये का मुचलका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ की सन्तुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दें, तो प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-58/2026 पुलिस थाना पिपलखूंट में जमानत पर रिहा कर दिया जावे

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

07. आदेश आज दिनांक-14.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

ALPESH KUMAR NAGAR
Digitally signed by ALPESH KUMAR NAGAR
Date: 2026.05.15 09:06:01 +0530